न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–08 / 2021

मोहनलाल पुत्र भूराराम जाति कुम्हार उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड नं. 32, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

----प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

-----अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् पाईप लाईन स्वीकृत किये जाने बाबत।</u>

::निर्णय:: **दिनांक–11.10.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 7 पीजीएम का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288 / 435 के किला नं.–19 / 1 का 0.101, 21 / 2 का 0.101,22 / 1 की 0.240 हैक्टर कुल 0.442 हैक्टर कमाण्ड प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई महेन्द्र कुमार के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम से संयुक्त रूप से चक 80 जीबी का मुरब्बा नं.–16 पत्थर नं.–288 / 435 के किला नं. –11,12 सालम,13 / 1 का 0.089,19 / 1 का 0.089, 20 सालम, 21 / 1 का 0.089 हैक्टर कुल 1.026 हैक्टर बरानी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक–78 जीबी का मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–279 / 425 का किला नं.–7 सालम, 13 का 0.127,18,19,22,23 सालम कुल 1.392 हैक्टर बरानी एवं मुरब्बा नं.–77 पत्थर नं.–282 / 431 का किला नं.–1ता78 की 1.265 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है। प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि चक 7 पीजीएम का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288 / 435 के किला नं.–22 में ट्यूबवैल लगा हुआ है। प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा अपनी कृषि भूमि चाके चक 78 जीबी का मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–279 / 425 की कुल 13.92 हैक्टर बरानी खातेदारी की बेहतरी सिंचाई सुविधा के लिए अपनी चक 7 पीजीएम का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288 / 425 के किला नं.–22 में स्थापित ट्यूबवैल से भूमिगत पाईप लाईन डालना चाहता है। उक्त पाईप लाईन ट्यूबवैल से डलती हुई गैर मुमकिन रास्ता चक 7 पीजीएम का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288 / 435 के 13,19,21 में स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि से आती हुई सीधा प्रार्थी के खेत चक 78 जी बी का मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–279 / 425 की उक्त भूमि में प्रवेश करेगी उक्त समस्त का विवरण नजरी नक्शा में दर्ज है। जिसका समस्त [illegible] है भूमिगत पाईप लाईन डालने बाबत समस्त औपचारिकताऐ नियमों के तह[illegible]–3 फुट गहरी में खड्डा खोद कर पाईप लाईन डालकर भूमि को [illegible] जिससे सम्बंधित काश्ताकारान की काश्त से किसी प्रकार की [illegible]र मुमकिन रास्ता के आगे पीछे के समस्त काश्ताकारान भूमिगत पाईप लाईन डालने को [illegible]त है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण दर्ज रजि. कर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक तहसीलदार अनूपगढ़ रिपोर्ट राजस्व जमाबंदी सम्वत 2075–78 के चक 7 पीजीएम पत्थर नं. –288 / 435 किला नं.–19 / 1,21 / 2,22 / 1 रकबा 0.442 हैक्टर कमाण्ड महेन्द्र कुमार पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:52 IST
Reason: SelfAttested

भूराराम हिस्सा 1/2 मोहनलाल पुत्र भूराराम हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार साकिन अनूपगढ़ राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 चक 7 पीजीएम पत्थर नं.–288/435 के किला नं.–5/2 का 0.025, 6/2 का 0.013, 7/1 का 0.025, 13/1 का 0.025,14/1 का 0.013, 18/2 का 0.013, 19/2 का 0.025, 21/1 का 0.025, 22/2 का 0.013 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। मौका पर भूमि प्रार्थी के किला नं.–22/1 में टयूबवैल (पाईप लाईन) उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता मौका पर चालू है तथा भूमि प्रार्थी का अपने रकबा पर कब्जा काश्त है। आवेदक द्वारा अपने किला नं.–22/1 में लगे टयूबवैल से उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते के किनारे–किनारे से पाईप लाईन ले जाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनकी कृषि भूमि चक 78 जीबी की तरफ से 12 मुरब्बा में पाईपलाईन डाली जा चुकी है। उक्त पाईप लाईन के संदर्भ में मौका पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा आपत्ति बताई गई कि उक्त पाईप लाईन डालने से रास्ता आवागमन अवरूद्ध हो जाएगा तथा पानी लीकेज की समस्या तथा टूट–फूट एवं भूमिगत जल स्तर का कम होना भूमिगत जल अशुद्ध होना आदि कारण बताकर आपत्ति जताई गई है।

आवेदक उक्त पाईप लाईन गैर मुमकिन रास्ता चक 7 पीजीएम का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.– 288/435 के 13,19,21 में स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि में से डालना चाहते हैं। प्रस्तावित पाईपलाईन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक सुविधाजनक मार्ग नहीं है। प्रस्तावित पाईपलाईन आवेदक की सिंचाई सुविधा हेतु नितान्त आवश्यक है। प्रस्तावित पाईपलाईन पूर्णतया भूमिगत है तथा प्रस्तावित पाईपलाईन में कोई अवरोध यथाभवन, बोरवेल आदि नहीं है।

पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने तहसील अनूपगढ़ के चक 7 पीजीएम का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288/435 के किला नं.–22 में टयूबवैल से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि चाके चक 78 जीबी का मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–279/425 की कुल 13.92 हैक्टर बरानी खातेदारी की बेहतरी सिंचाई सुविधा के लिए गैर मुमकिन रास्ता चक 7 पी.जी.एम. का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288/435 के 13,19,21 में स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन डालकर सिंचाई सुविधा हेतु अनुमति चाही है। प्रस्तावित भूमि की अलावा अन्य कोई निकटतम उचित विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 78 जीबी का मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–279/425 की की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए चक 7 पीजीएम का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288/435 के किला नं.–22 में स्थापित टयूबवैल से मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288/435 के 13,19,21 में भूमिगत पाईप लाईन डालना चाहता है। भूमिगत पाईपलाईन 1.5 फुट चौड़ाई की [illegible] में भूमिगत तीन फीट गहरी पाईपलाईन डालकर सिंचाई करने की अनुमति [illegible] प्रदान की जाती है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:52 IST
Reason: SelfAttested

शर्ते–

1. पाईपलाईन डालते समय आवागमन में किसी प्रकार [illegible] प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
2. मशीन द्वारा 3–3 फुट गहरा खड्डा खोदकर उसमें भूमिगत पाईपलाईन डालकर व गड्डों को मिट्टी द्वारा भरकर पुनः उसी स्थिति में समतल किया जावे, ताकि किसी काश्तकार को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही हो।

3. प्रार्थी पाईपलाईन डालने हेतु तीन फुट गहरी खुदाई को स्वयं के खर्चे पर भराई करके भूमि/रास्ता समतल करेगा एवं भविष्य में पाईपलाईन में किसी प्रकार का लीकेज होने पर मरम्मत प्रार्थी के स्वयं के खर्चे पर करवायेगा।
4. शुद्ध रकबा राज भूमि वाके चक 7 पी.जी.एम. का मुरब्बा नं.–3 पत्थर नं.–288/435 के 13,19,21 पाईपलाईन डालने की ऐवज में प्रतिकर संदाय (राजस्व लेखाकार द्वारा) कर राज. काश्त. (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के **दस प्रतिशत** राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार, अनूपगढ़ नियमानुसार प्राप्त राशि को सुसंगत मद में राजकोष मे जमा करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:52 IST
Reason: SelfAttested